

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के नियम ।

विधि (विधि रचना) विभाग

(प्रकोष्ठ-1)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 1998

संख्याप. 1(7)/विरसं/प्र-1/96:-राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 (1970का राजस्थान अधिनियम,19)की धारा 2के अनुसरण में, "दी राजस्थान लॉज रिपिलिंग एण्ड अमेन्डिंग एक्ट, 1962" (अगस्त, 1996तक यथा संशोधित) का राज्यपाल द्वारा अनुमत हिन्दी अनुवाद उनके प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

प्राधिकृत पाठ

राजस्थान विधि निरसन और संशोधन अधिनियम, 1962

(1962 का अधिनियम सं. 21)

(राज्यपाल की अनुमति 8 दिसम्बर, 1962 को प्राप्त हुई)

सम्पूर्ण राजस्थान राज्य या उसके किसी भाग में प्रवृत्त कतिपय विधियों को निरसित करने और कतिपय अन्य विधियों को संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में राजस्थान राज्य का विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधि निरसन और संशोधन अधिनियम, 1962 है।

2. कतिपय विधियों का निरसन.- प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियां उसके चतुर्थ स्तम्भ में उल्लिखित सीमा तक इसके द्वारा निरसित की जाती हैं।

3. कतिपय विधियों का संशोधन.- द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियां उसके चतुर्थ स्तम्भ में उल्लिखित सीमा तक और रीति से इसके द्वारा संशोधित की जाती है।

4. व्यावृत्तियां.- (1) इस अधिनियम द्वारा किसी भी विधि का निरसन किसी भी ऐसी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित विधि लागू, समाविष्ट या निर्दिष्ट की गयी हों।

(2) यह अधिनियम एतद्वारा निरसित किसी भी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन पहले ही की जा चुकी या होने दी गयी किसी भी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या उसके अधीन पहले हो अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी भी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी भी अन्वेषण, उपचार या कार्यवाही या किसी भी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग को निर्मुक्ति या निर्मोचन को या पहले ही दी जा चुकी किसी भी क्षतिपूर्ति या अतीत के किसी भी कार्य के या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) यह अधिनियम विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवसाय के रूप या अनुक्रम या प्रक्रिया या किसी भी विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे एतद्वारा निरसित किसी भी विधि द्वारा, में या से किसी भी रीति से, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न किये गये हों।

(4) इस अधिनियम द्वारा किसी भी विधि का निरसन ऐसी किसी भी अधिकारिता, पद, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, रूढ़ि, व्यवसाय, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरुज्जीवित या पुनः स्थापित नहीं करेगा जो उस तारीख को विद्यमान या प्रवृत्त नहीं थी, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त हो।

(5) किसी शंका के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां यह अधिनियम किसी भी ऐसी विधि को निरसित करता हो जिसके द्वारा किसी भी अन्य विधि के पाठ को किसी भी विषय के अभिव्यक्त लोपन, अन्तःस्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया गया था, वहां निरसन इस प्रकार निरसित विधि द्वारा किये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त किसी भी ऐसे संशोधन के जारी रहने को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रथम अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन की सीमा
1	2	3	4
		राजस्थान राज्य की विधियां	
1949	7	जयपुर नगर म्यूनिसिपल कौन्सिल (विस्तारक) आर्डिनेन्स, 1949	सम्पूर्ण
1949	37	जयपुर स्टेट म्यूनिसिपल बोर्ड्स (एक्सटेन्डिंग) आर्डिनेन्स, 1949	“
1949	40	राजस्थान अपील तथा प्रार्थना-पत्र (समापन)आर्डिनेन्स, 1949	“
1949	44	राजस्थान विशेष आपराधिक न्यायालय आर्डिनेन्स, 1949	“
1950	12	राजस्थान अपील तथा प्रार्थना-पत्र (समापन) (संशोधन) आर्डिनेन्स, 1950	“
1950	15	दी युनाईटेड प्राविन्सेस आर्मड कांस्टेब्युलरी एक्ट (एक्सटेन्शन टू राजस्थान)आर्डिनेन्स, 1950	“
1951	18	राजस्थान मोटर गाडी कर (संशोधन) अधिनियम, 1951	“
1951	24	राजपुताना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951	“
1952	3	राजस्थान दीवानी अदालत (सिविल कोर्टस) आर्डिनेन्स (संशोधन) अधिनियम, 1952	“
1952	9	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1952	“
1952	18	राजस्थान भवन (प्राप्ति और बेदखली) अध्यादेश (संशोधन) अधिनियम, 1952	“
1952	22	राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1952	“
1952	25	राजस्थान म्यूनिसिपल बोर्ड्स (अवधि विस्तारक) अधिनियम, 1952	“
1952	26	राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम (अनुकूलन) अध्यादेश (संशोधन) अधिनियम, 1952	सम्पूर्ण
1952	28	राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1952	“
1953	7	जयपुर जिला बोर्ड (अविधि वृद्धि) अधिनियम, 1953	“
1953	8	राजस्थान दुर्भिक्ष (कार्यवाही स्थगन) संशोधन अधिनियम, 1953	“

1953	17	राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) संशोधन अधिनियम, 1953	“
1953	26	राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) संशोधन अधिनियम, 1953	“
1954	13	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर्स पुनर्ग्रहण(खालसा करना) (संशोधन) अधिनियम, 1954	“
1954	15	राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1954	“
1954	17	राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1954	“
1955	1	राजस्थान मेडिकल (संशोधन) अधिनियम, 1955	“
1955	9	राजस्थान स्टाम्प कानून (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1955	“
1955	13	राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1955	“
1955	14	राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1955	“
1955	16	राजस्थान कोआपरटिव सोसाइटीज (अमेन्डमेन्ट)एक्ट, 1955	“
1955	17	राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर्स पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1955	“
1955	19	धौलपुर प्रोपैशन्स टैक्स (ऐबोलीशन) एक्ट, 1955	“
1955	21	राजस्थान सिनेमा रेग्यूलेशन (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1955	“
1955	23	राजस्थान पंचायत (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1955	“
1955	26	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण)(संशोधन) अधिनियम, 1955	“
1956	1	राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिंट टैक्जैशन एक्ट, 1956	“
1956	5	राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	6	राजस्थान दीवानी अदालत (सिविलकोर्ट्स) (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	7	राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	8	राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	11	राजस्थान जिला बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	13	राजस्थान मोटर गाडी कर (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	14	राजस्थान अभ्यस्त अपराधी (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	17	राजस्थान प्रिजरवेशन ऑफ सर्टन एनीमल्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1956	“

1956	18	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	20	राजस्थान कृषि आय-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	22	राजस्थान फारेस्ट (अमेन्डमेन्ट) अधिनियम, 1956	“
1956	24	राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	25	राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	27	राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	28	राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	29	झुंजरपुर कानून लेख (विखण्डन) अधिनियम, 1956	“
1956	35	राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	36	राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1956	“
1956	39	राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाहियां (वैद्यकरण) संशोधन अधिनियम, 1956	“
1956	41	राजस्थान आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1956	44	राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1957	2	राजस्थान सिविल कोर्ट्स लाज (एक्सटेन्सन) एक्ट, 1956	अनुसूची
1957	3	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1956	संपूर्ण
1957	4	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1957	5	राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1957	8	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (पांचवा संशोधन) अधिनियम, 1956	“
1957	11	राजस्थान जिला बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	13	राजस्थान जिला बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	14	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	15	राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1957	“
1957	19	राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन तथा विस्तारक) अधिनियम, 1957	धारा 4 से 9 तक
1957	21	मारवाड पट्टा अध्यादेश (निरसन) अधिनियम, 1957	संपूर्ण

1957	22	राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों के पारिश्रमिक) संशोधन अधिनियम, 1957	“
1957	23	राजस्थान मोटर गाड़ी कर (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	25	राजस्थान रेग्यूलेशन ऑफ बोटिंग (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1957	“
1957	26	राजस्थान मंत्रियों का वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	29	राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) एक्ट, 1957	“
1957	30	राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधी तथा विस्तारक) संशोधन अधिनियम, 1957	“
1957	32	राजस्थान मोटर सिप्रट बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	33	राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	34	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधी तथा विस्तारक अधिनियम, 1957	धारा 4 से 9 तक
1957	35	मारवाड़ जागीरदार भारग्रस्त भू-संपत्ति (निरसन) अधिनियम, 1957	संपूर्ण
1957	38	राजस्थान आबकारी (संशोधी तथा विस्तारक) अधिनियम, 1957	“
1957	41	दी बाम्बे लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एज्युकेशन (रिपीलिंग) एक्ट, 1957	“
1957	43	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (छठा संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	44	राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाहियां (वैधकरण) संशोधन अधिनियम, 1957	“
1957	45	राजस्थान जनरल क्लाजेज (संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1957	46	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1957	“
1958	1	राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	2	राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, 1958	धारा 4 और प्रथम अनुसूची
1958	4	राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	5	राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 1958	“

1958	6	राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	7	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	9	राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	10	राजस्थान सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	11	राजस्थान कोर्ट फीस तथा स्टाम्प शुल्क विधि (विस्तार) अधिनियम, 1958	अनुसूची
1958	12	राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन अधिनियम, 1958	संपूर्ण
1958	13	राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ प्रेगमेन्टेशन संशोधन अधिनियम, 1958	“
1958	14	राजस्थान टिनेन्सी (सैकिण्ड अमैन्डमेन्ट) एक्ट, 1958	“
1958	15	अजमेर वक्फ्स बोर्ड (विघटन) अधिनियम, 1958	
1958	16	राजस्थान यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	18	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	21	मोटर व्हीकल्स (बंबई संशोधन) निरसन अधिनियम, 1958	“
1958	22	राजस्थान एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	24	राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविकशन) संशोधन अधिनियम, 1958	“
1958	30	राजस्थान हैविच्युअल आपेन्डर्स (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	35	राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	36	राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (अष्टम संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	37	राजस्थान लैंड रेवेन्यू (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	38	राजस्थान कोलोनाइजेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	39	राजस्थान फारेस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	40	राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	41	राजस्थान पब्लिक डिमांड्स रिकवरी (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	42	राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	43	राजस्थान लैंडरिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (नवां संशोधन) अधिनियम, 1958	“

1958	46	राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	47	राजस्थान लैंड रेवेन्यू (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1958	49	राजस्थान जनरल क्लाजेज (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1959	2	राजस्थान जागीरदार्स डेंट रिडक्शन (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1959	4	मोटर व्हीकल्स (बोम्बे अमैन्डमेन्ट्स) रिपीलिंग (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1959	6	अजमेर अबोलोशन ऑफ इंटरमीडिअरीज एण्ड लैंड रिफार्म्स (संशोधन) अधिनियम, 1958	“
1959	7	राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	10	राजस्थान लैंड एक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	11	राजस्थान कोर्ट फी तथा स्टाम्प ड्यूटी लाज (एक्सटेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1959	“
1959	14	राजस्थान एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	15	राजस्थान सैल्स टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	17	राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) आर्डिनेन्स, (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	19	राजस्थान फारेस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	20	राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	23	राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रेग्मैन्टेशन) संशोधन अधिनियम, 1959	“
1959	25	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	26	राजस्थान मंत्रियों का वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	27	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1959	“
1959	29	राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों और सदस्यों के पारिश्रमिक) संशोधन अधिनियम, 1959	“
1959	30	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	32	राजस्थान मातृका लाभ (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	33	राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1959	34	राजस्थान, भूमि सुधार तथा जागीरपुनर्ग्रहण (ग्यारहवां)	“

		संशोधन) अधिनियम, 1959	
1959	40	इंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) अधिनियम, 1959	“
1960	2	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण(बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	6	राजस्थान जागीर संबंधी निर्णय तथा कार्यवाहियां (वैधकरण) संशोधन अधिनियम, 1960	“
1960	7	राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	8	राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	9	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1960	“
1960	11	राजस्थान मोटर स्प्रिटबिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	12	राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों और सदस्यों के पारिश्रमिक) संशोधन अधिनियम, 1960	“
1960	14	राजस्थान आर्म्डकांस्टेबुलरी (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	15	राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	17	राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	18	राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	19	राजस्थान गोदाम (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	20	राजस्थान बाट व माप (प्रवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	21	राजस्थान सिंचन तथा जल निकास (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	22	राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	25	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	26	राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	27	राजस्थान बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	28	राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	29	राजस्थान पशु रोग (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	31	राजस्थान पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	33	राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1960	“

1960	35	राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	37	राजस्थान बिक्री कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	41	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1960	43	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (तेहरवां संशोधन) अधिनियम, 1960	“
1961	4	राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) 4 (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	6	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	10	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	11	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	12	राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	13	राजस्थान मोटर गाडी कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	15	राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	16	राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	17	राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन तथा विस्तारक) अधिनियम, 1961	धारा 3 तथा 4
1961	26	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1961	सम्पूर्ण
1961	27	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	28	राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	29	राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन(संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	30	राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	33	राजस्थान गोदाम (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	34	राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	36	राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	37	राजस्थान बाट व माप (प्रवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 1961	“
1961	39	राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी और सदस्यों के पारिश्रमिक) संशोधन अधिनियम, 1961	“

ख. अजमेर क्षेत्र संबंध विधियां

1799	5	दी बंगाल विल्स एण्ड इन्टैसटैसी रेग्यूलेशन, 1799	सम्पूर्ण, जहां तक वह अजमेर क्षेत्र पर लागू होता है
1827	5	दी बंगाल एटेच्ड एस्टेट्स मैनेजमेंट रेग्यूलेशन, 1827	“
1895	4	दी अजमेर विलेज सैनितेशन रेग्यूलेशन, 1895	“
1911	2	दी अजमेर तालुकदारस लोन रेग्यूलेशन, 1911	“
1946	19	दी बाम्बे इलेक्ट्रीसिटी (सरचार्ज) एक्ट, 1946 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1946	20	दी बाम्बे इलेक्ट्रीसिटी (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1946 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1921	2	दी यूनाईटेड प्रोविन्सेज इन्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1947	1	दी यूनाईटेड प्रोविन्सेज होम गाइस एक्ट, 1947 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1947	14	दी यूनाईटेड प्रोविन्सेज रिमूवल आफ सौशियल डिसएबिलिटीज एक्ट, 1947 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1947	24	दी यूनाईटेड प्रोविन्सेज (टैम्पोरेरी) अकोमोडेशन रिक्वीजीशन एक्ट, 1947 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1935	2	दी पंजाब क्रिमिनल ला (एमेंडमेंट) एक्ट, 1935 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1947	1	दी पंजाब डिस्टर्वड एरियाज एक्ट, 1947 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1947	12	दी ईस्ट पंजाब पुलिस (प्रोटेक्शन आफ रेलवेज) एक्ट, 1947 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1948	31	दी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर (बिहार एमेंडमेंट) एक्ट, 1948 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	“
1947	24	देहली रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन आर्डिनेन्स, 1947 जिस प्रकार वह अजमेर क्षेत्र पर लागू हुआ	सम्पूर्ण, जहां तक वह अजमेर क्षेत्र पर लागू होता है

1953	9	दी अजमेर गर्वमेन्ट वाड्स रेग्यूलेशन (एमेंडमेंट) एक्ट, 1953	“
1954	5	कैटल ट्रेसपास (अजमेर अमेंडमेंट) एक्ट, 1954	“
1956	9	दी अजमेर एबोलीशन आफ इंटरमीडियरीज एण्ड लैंड रिफार्म्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 1956	“
ग. भूतपूर्व राजस्थान राज्य की विधियां			
1948	11	दी यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन आर्डिनेन्स, 1948	सम्पूर्ण
1948	12	दी यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान होम गार्ड्स आर्डिनेन्स, 1948	“
1948	13	दी यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान एबोलीशन आफ लागत आर्डिनेन्स, 1948	“
1948	25	दी यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान बेजिटेबल आईल प्रोडक्ट्स (प्रोहीबिशन आफ इम्पोर्ट एण्ड मेनुफेक्चर) आर्डिनेन्स, 1948	“
1948	26	दी यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान फारेस्ट्स (कलैक्टिव फाइन्स) आर्डिनेन्स, 1948	“
1948	67	दी यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान फास्ट कोर्ट आफ अपील (टेम्पोरेरी) आर्डिनेन्स, 1948	“
घ. भूतपूर्व अलवर राज्य की विधियां			
		दी अलवर सिटी रोड साइड रेल्वे प्रोटेक्शन एक्ट	“
		दी अलवर प्रोटेक्टेड एनीमल्स एक्ट, 1946	“
		दी अलवर आक्सनीयर्स रेगुलेशन, 1919	“
ड. भूतपूर्व भरतपुर राज्य की विधियां			
		(भरतपुर) विलेज मार्केटिंग एक्ट	“
		(भरतपुर) रिडेम्पशन आफ मारगेजेज एक्ट	“
च. भूतपूर्व बीकानेर राज्य की विधियां			
		दी बीकानेर वर्कमैन्स ब्रीच आफ कांट्रैक्ट एक्ट	“
		दी बीकानेर इन्डेन्टेड साहूकार्स रिलीफ एक्ट, 1929	सम्पूर्ण
		दी बीकानेर स्टेट काटन पैस्ट एक्ट	“
		दी बीकानेर स्टेट मार्किंग आफ वेट्स आन हैवी पैकेजेज	“

	एक्ट, 1940	
छ. भूतपूर्व बूंदी राज्य की विधियां		
	(बूंदी) चौथ एबोलीशन एक्ट	“
	(बूंदी) स्पेशल कोर्ट्स आर्डिनेन्स, 1942	“
ज. भूतपूर्व जयपुर राज्य की विधियां		
	(जयपुर) नाता रूल्स, 1927	“
	(जयपुर) अक्तों संबंधी नियम, 1921	“
	(जयपुर) स्माल टाउन रूल्स, 1941	“
	दी जयपुर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आर्डिनेन्स, 1947	“
	दी जयपुर क्रिमिनल लॉ सैकंड अमेंडमेंट आर्डिनेन्स, 1947	“
	दी जयपुर रेल्वे लैन्ड्स एक्ट, 1949	“
झ. भूतपूर्व जोधपुर राज्य की विधियां		
	(मारवाड़) रिक्वीजीशन ऑफ लैंड	“
	(कन्टीनूएन्स ऑफ पावर) आर्डिनेन्स, 1948	“
	मारवाड़ स्पीलिंग आर्डिनेन्स, 1947	“
	मारवाड़ ग्राम सुधार कमेटी एक्ट, 1947	“
	मारवाड़ रिफ्यूजीज एक्ट, 1949	“
ञ. भूतपूर्व मेवाड़ राज्य की विधियां		
	(मेवाड़) एनीमल प्रोटेक्शन एक्ट	“
	दी (मेवाड़) प्रिवेन्शन आफ किलिंग आफ एनीमल्स एण्ड सेल आफ लिकर एक्ट, 1944	“
	दी मेवाड़ रेलवे (लैन्ड्स) जयुरिसडिक्शन एक्ट, 1947	“
	दी मेवाड़ फायर वर्क्स एक्ट, 1948	“

द्वितीय अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
1953	21	राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953	धारा 23 में,- (क) शब्दों और अर्द्ध विराम "प्रत्येक पंचायत," के पश्चात् शब्द "राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी साधारण या विशेष निदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए और" अन्तः स्थापित किये जायेंगे, और (ख) निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जायेगा:- "परन्तु यह और कि कोई भी पंचायत पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए और वैसे ही अनुमोदन से, निदेश दे सकेगी कि एक व्यक्ति को किन्हीं दो या अधिक पदों के कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त किया जायेगा।"
1953	24	राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953	धारा 17 की उप-धारा (4) में, शब्द, अंकों और अक्षर "धारा 5 और 5क" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 5क" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
1953	27	राजस्थान प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1953	धारा 5 की उप-धारा (3) में शब्द "और" के स्थान पर शब्द "जब कि" प्रतिस्थापित किया जायेगा।
1954	16	राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954	धारा 9 में,- (क) शब्द "बोर्ड" के पश्चात् अर्द्ध विराम और शब्द " राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अध्यक्षीन," अन्तः स्थापित किये जायेंगे, और (ख)

			<p>निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-</p> <p>"परन्तु बोर्ड, पूर्वोक्त के अध्यक्षीन निदेश दे सकेगा कि एक व्यक्ति किन्हीं दो या अधिक पदों के कर्तव्यों का नियंहन करने के लिए नियुक्त किया जायेगा।"</p>
1955	5	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955	<p>धारा 20 में, -</p> <p>(क) शब्द "बोर्ड" के पश्चात् शब्द और अर्द्ध विराम" राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अधोन," अन्तः स्थापित किये जायेंगे, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-</p> <p>"परन्तु उपरोक्त के अधीन बोर्ड यह निदेश दे सकेगा कि एक ही व्यक्ति किन्हीं दो या दो से अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाये।"</p>
1957	42	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957	<p>धारा 21 की उप-धारा (3) में, -</p> <p>(क) शब्द "बोर्ड" के पश्चात् अर्द्ध विराम और शब्द " राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हो साधारण अथवा विशेष निदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए" अन्तः स्थापित किये जायेंगे, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-</p> <p>"परन्तु पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए बोर्ड निदेश दे सकेगा कि किन्हीं दो या अधिक पदों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्ति की जाये।"</p>
1958	11	राजस्थान न्यायालय फीस और	4 धारा 2,3 में और धारा 4 की उपधारा

		स्टाम्प शुल्क विधियां (प्रसार) अधिनियम, 1958	(1) में अंक और शब्द "1 अप्रैल" के स्थान पर अंक और शब्द "3 अप्रैल" प्रतिस्थापित किये जायेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।
1958	33	राजस्थान जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958	धारा 12 की उप-धारा (1) में शब्द "जिला न्यायालय का वह जज" के स्थान पर "जिले का कलक्टर" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
1959	13	नायद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959	विद्यमान धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- 21.-अन्य अधिकारी तथा सेवक: राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अध्यक्षीन, तथा उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार बोर्ड मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न' अपने समस्त अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त कर सकेगा, निलंबित कर सकेगा अथवा पदावनत कर सकेगा या किसी अन्य प्रकार से दंडित कर सकेगा: परन्तु बोर्ड उपर्युक्त के अध्यक्षीन यह निदेश दे सकेगा कि एक व्यक्ति किन्हीं दो अथवा अधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये नियुक्त किया जायेगा।
1959	35	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959	धारा 24 में, - (क) शब्द 'प्रत्येक न्यास" के पूर्व "राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष निदेश के अध्यक्षीन रहते हुए" अन्तः स्थापित किये जायेंगे, और (ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

			"परन्तु न्यास, पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए यह निर्देश दे सकेगा कि किन्हीं दो या अधिक पदों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाये।"
1961	22	राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड, अधिनियम, 1961	धारा 19 की उप-धारा (3). में, - (क) शब्द "बोर्ड" के पश्चात् शब्द "राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए" प्रतिस्थापित किये जायेंगे, और (ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:- परन्तु बोर्ड उपर्युक्त के अध्यक्षीन रहते हुए यह निर्देश दे सकेगा कि किन्हीं भी दो या अधिक पदों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।
1961	38	राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961	धारा 14 में शब्द और अंक " धारा 6" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

सुनील कुमार गर्ग,
विधि सचिव ।